



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची।

e-mail : pccf-development@gov.in

फ़ोन - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01 / यो0ब0-22/2020- 368

दिनांक : - २९.०६.२०२२

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची / गुमला वन प्रमंडल,  
गुमला / जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर / सरायकेला वन प्रमंडल,  
सरायकेला / सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा / दुमका वन प्रमंडल,  
दुमका / पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़ / जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा /  
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर /  
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबासा / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, लातेहार /  
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका / सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2026-27 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में  
कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना  
(जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण,  
पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला  
गैबियन से वृक्षारोपण तथा पथतट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन  
से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु कुल रु0 140.707 लाख  
(एक करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र राशि का  
ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

वन विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / यो0ब0-25/2020-26 / स्वी0 व0प0  
दिनांक-27.01.2021 एवं आवंटन आदेश संख्या-04 / यो0 बजट-25 /  
2020-07 / आ0 व0प0 दिनांक-23.06.2022।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-  
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 796-जनजातीय क्षेत्र<sup>उपयोजना</sup>, उप शीर्ष-59-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष  
2022-23 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 140.707 लाख (एक  
करोड़ चालीस लाख सत्तर हजार सात सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित  
इकाईयों में किया जाता है :-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060179659010103	121.455
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060179659010323	19.252
कुल :-		140.707

2. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1(क से ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को समय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2(क से ग) एवं ऑन लाईन उप-आवंटन अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179659010103 तथा 19S24060179659010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विषयों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. यदि नदी तट वृक्षारोपण हेतु 100 प्रतिशत वनभूमि अथवा गैर-मजरुआ भूमि उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो एसी रिथिति में नदी तट वृक्षारोपण की एक इकाई, जिसकी लम्बाई 100 मी० होती है, उसके चयन के क्रम में यदि अंशिक रूप से रैयती भूमि आ रही हो, तो इस प्रकार की रैयती भूमि का हिस्सा (100 मी० लम्बाई की इकाई में) यदि अधिकतम 30 प्रतिशत हो तो इस प्रकार के स्थल को वृक्षारोपण हेतु चयनित किया जा सकता है। इस क्रम में यह आवश्यक होगा कि जमीन के मालिक वन विभाग को योजना अवधि के लिए उक्त रैयती भूमि को वृक्षारोपण के लिए स्वेच्छा से सुपूर्द करने को तैयार हो एवं इसके लिए वन विभाग को इकरारनामा-सह-अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करा दें। योजना के कार्यान्वयन के पूर्व वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा स्थल विशेष योजना तैयार कर सक्षम स्तर से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जिस संबंधी अभिलेखों का संधारण क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक के कार्यालय में किया जाएगा।

5. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान अन्तर्गत शामिल जिलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।

7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहित के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

9. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे।

10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :—

(i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।

(ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

(iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन Offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।

(iv) ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश संबंधित पदाधिकारियों द्वारा निर्गत किया जाएगा। जहाँ नियंत्री पदाधिकारी की हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, उनका ध्यान आकृष्ट किया जाय।

(v) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय, यथा कैम्पा, बन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

(vi) दो या दो से अधिक स्त्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vii) विभिन्न आय स्त्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्टाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कड़िकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2020-21 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का का रथूल रथल नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा। विभागीय परिपत्रों द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत निरीक्षण मात्र निर्धारित प्रतिशत सीमा जो विभिन्न पदनाम हेतु निर्धारित है, उसका पालन किया जाय।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक रथाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैर्टन पर तैयार करायें।

(VI) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(VIII) कंडिका— VII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

(IX) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना के कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्रावक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम रत्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में रवीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वार्ताविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान DBT/बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। Cash में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसके लिए दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरन्त देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हो।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार या GeM से की जाएगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, ज्ञारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

22. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आकड़ा वर्षवार विभागीय वेबसाईट पर फोटो के साथ डाला जाए तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध कराई जाए।

23. नदी तट पर मुख्यतः रथायी पौधशाला में उपलब्ध अर्जुन, सेमल, कदम, करंज, शीशम, जामुन, आम, बेल, बेर, इमली, पीपल, बरगद, नीम, सिरिस, जंगली जिलेबी गम्हार आदि के प्राकृतिक प्रजातियों के कम से कम 4 से 5 फीट औसत ऊँचाई के पौधे लगाये जायेंगे, जो वहाँ के मिट्टी एवं नमी के अनुरूप हो। इसका अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

24. (i) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा समर्पण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का रथल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का

सत्यापन Gis Photography के साथ कर record में रखें तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(ii) अग्रिम की राशि वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(iii) Master Roll में अन्य ब्यौरा के साथ—साथ बैंक का नाम, Account Number तथा IFSC कोड भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(iv) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Documents के साथ—साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(v) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(vi) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बड़ी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेंगे तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(vii) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरूप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(viii) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75 प्रतिशत होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(ix) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिह्नित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

(x) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22 / 2020— 368 दिनांक— 29.06.2022

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर/दक्षिणी छोटानागपुर/संथाल परगना/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/ जमशेदपुर/ दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ गुमला/ जमशेदपुर/ चाईबासा/दुमका/देवघर/एनवीस सेन्टर, राँची/पी0एम0य० सेल, योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

८

ज्ञापांक— 01 / यो0ब0—22/2020— 368 दिनांक— 29.06.2022  
प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/  
गुमला / जमशेदपुर / सरायकेला / चाईबासा / दुमका / पाकुड़ / जामताड़ा / लातेहार /  
सिमडेगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :— यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत नदी तट पर वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार उप-आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (कि0मी0 में)	यूनिट कि संख्या (प्रति कि0मी0 10 में)	वित्तीय लक्ष्य		
				मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	10.00	100.00	14.270	1.036	15.306
2	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	10.00	100.00	14.270	1.036	15.306
योग :—		20.00	200.00	28.540	2.072	30.612

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथरतट/संस्थानों आदि की भूमि पर पी0वी0सी0 जाली से निर्मित गमला गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में रु0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			iv	v	vi
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	3000	11.276	2.085	13.361
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	800	3.007	0.556	3.563
3	जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर	1000	3.759	0.695	4.454
4	सरायकेला वन प्रमण्डल, सरायकेला	800	3.007	0.556	3.563
5	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	800	3.007	0.556	3.563
6	दुमका वन प्रमण्डल, दुमका	600	2.255	0.417	2.672
7	पाकुड़ वन प्रमण्डल, पाकुड़	600	2.255	0.417	2.672
8	जामताड़ा वन प्रमण्डल, जामताड़ा	300	1.128	0.208	1.336
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1700	6.390	1.182	7.572
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1700	6.390	1.182	7.572
11	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	2000	7.517	1.390	8.907
12	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	2000	7.517	1.390	8.907
13	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	1300	4.886	0.903	5.789
योग :-		16600	62.394	11.537	73.931

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत पथरत/संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैबियन से वृक्षारोपण का सम्पोषण कार्य (तृतीय वर्ष) हेतु प्रमण्डलवार प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : वित्तीय वर्ष 2022-23 में ₹0 326.85 प्रति मानव दिवस)

(राशि लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/वन प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (गैबियन में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			375.88	69.50	445.38
i	ii	iii	iv	v	vi
1	राँची वन प्रमण्डल, राँची	1250	4.699	0.868	5.567
2	गुमला वन प्रमण्डल, गुमला	500	1.879	0.348	2.227
3	जमशोदपुर वन प्रमण्डल, जमशोदपुर	500	1.879	0.348	2.227
4	सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा	620	2.330	0.430	2.760
5	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची	1000	3.759	0.695	4.454
6	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा	500	1.879	0.348	2.227
7	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर	1000	3.759	0.695	4.454
8	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा	500	1.879	0.348	2.227
9	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार	1000	3.759	0.695	4.454
10	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका	1250	4.699	0.868	5.567
योग :—		8120	30.521	5.643	36.164

अपर प्रधान मुख्य वन सरकार, विकास  
झारखण्ड, राँची।

## नदी तट पर वृक्षारोपण का अनुसूचित दर तालिका

पौधों की संख्या प्रति यूनिट	300
पौधों की दूरी	2mx3m
1 यूनिट का परिमाप	2000 m <sup>2</sup>
1 यूनिट में घेरान की कुल लम्बाई	240m
मजदूरी दर प्रति मानव दिवस	326.85 रुपये

क्र. सं.	कार्य का विवरणी	इकाई प्रति	मानव दिवस	मजदूरी (रु0 सामग्री में)	(रु0 सामग्री में)	कुल
i	ii	iii	iv	v	vi	vii
A	वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु0 326.85					
1	एक कोड़नी-निकौनी	प्रति इकाई	4.2	1372.77	0.00	1372.77
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / उरिया, जैविक किटनासक आदि)	प्रति इकाई	0	0.00	661.40	661.40
3	पौधों की सुरक्षा	प्रति इकाई	24.00	7844.40	0.00	7844.40
4	घेरान की मरम्मत	प्रति इकाई	1.20	392.22	275.00	667.22
5	मृत पौधों का प्रतिरक्षण (@10%) 100 Plant	प्रति इकाई	0.62	202.65	100.00	302.65
6	पटवन (आवश्यकतानुसार)	प्रति इकाई	13.64	4458.23	0.00	4458.23
	कुल:-		43.66	14270.27	1036.40	15306.67



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
ज्ञारखण्ड, राँची।

## वृक्षारोपण की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम— पथराट / संस्थानों आदि की भूमि पर पी०की०सी० जाली से निर्भित — गमला गैबियन वृक्षारोपण

गैबियन का आकार — उपर का व्यास रींग 2'.5"

दीव का व्यास रींग 2'.0" एवं नीचे का व्यास रींग

1'.5", ऊचाई — जमीन से उपर 5'.3" तथा एक

फीट गहरा जमीन में एवं 9" की पत्ती मुड़ी जो

आगे से कटी हुई हो।

स्पेसिंग — पंक्ति से पंक्ति की दूरी — 3 मी०

कार्य दर — एक गैबियन

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

मजदूरी प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	प्रति गैबियन	मानव दिवस	कुल मजदूरी, (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्त
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) पित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85							
1	तीन कोडीनी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर स्पे। मृत पौधों का वदलाव	प्रति गैबियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिक्षा/ठेला द्वारा)	प्रति गैबियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	गैबियन की मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैबियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

योजना का नाम— पथरट / संस्थानों आदि की भूमि पर बाँस गैवियन के साथ वृक्षारोपण  
की अनुसूचित कार्य दर

1. बाँस—गैवियन का आकार: 6'-6" x 2'-6" x 2'-6"

पंचित से पंचित की दूरी — 3 मी०

3 मजदूरी दर प्रति मानव दिवस: 326.85 रुपये

2. रेसिंग —

पौधे से पौधे की दूरी — 5 मी०

क्रम संख्या	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस	कुल मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	आमियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) वित्तीय वर्ष 2022-23 में संपोषण कार्य (तृतीय वर्ष) मजदूरी दर प्रति मानव दिवस : रु० 326.85							
1	तीन कोडनी निकौनी (प्रथम— 5ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; द्वितीय: 10ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक; तृतीय: 5 ग्रा. युरिया५ ग्राम कीटनाशक); पत्तों पर लगने वाले कीड़ों की स्थिति में रोगर रखे। मृत पौधों का बदलाव	प्रति गैवियन	0.15	49.03	4.50	53.53	
2	पटवन (रिक्शा/ठेला द्वारा)	प्रति गैवियन	0.50	163.43	5.00	168.43	
3	बाँस गैवियन का मरम्मती एवं सुरक्षा	प्रति गैवियन	0.50	163.43	60.00	223.43	
	योग		1.15	375.88	69.50	445.38	

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पंज संख्या - 01/YB-22/2020/368

ଡିଲାକ ..

29-Jun-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33478	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	3,024,500.00 रुपये तीस लाख चौहास हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
2	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33479	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	488,600.00 रुपये चार लाख अठयासी हजार छः सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
3	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33481	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	563,800.00 रुपये पाँच लाख तीरसठ हजार आठ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

स्वोत्तम-

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਥ ਵਿਖੇ ਸੜ੍ਹੇ

कल्पित योगा-

4,076,900.00

(NAND KISHORE SINGH)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33482	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 03 - मजदूरी	300,700.00 रुपये तीन लाख सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33483	SCHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 03 - मजदूरी	533,700.00 रुपये पाँच लाख तीन सौ हजार सात सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33484	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 03 - मजदूरी	225,500.00 रुपये दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योगा-

ରୁପ୍ୟେ ଡକ୍ଟରବନ୍ଦ ଲାଖ ଛତ୍ରୀସ ହଜାର ଆଠ ସୌ

### कुम्हिका योगः

1,059,900.00

5,136,800.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL PCCE DEV JHARKHAND


क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33485	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	225,500.00 रुपये दो लाख पच्चीस हजार पाँच सौ
8	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33486	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	112,800.00 रुपये एक लाख बारह हजार आठ सौ
9	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33487	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	2,441,900.00 रुपये चौहास लाख इकतालीस हजार नौ सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः		रुपये उन्नासी लाख स त्र ह हजार		2,780,200.00
				7,917,000.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND	
			RANCH	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33488	SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	रुपये दस लाख छौदह हजार नौ सौ
11	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33489	NITISH KUMAR (I.F.S.) D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये एक लाख सित्यासी हजार नौ सौ
12	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33490	SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये रुपयारह लाख सत्ताइस हजार स्त: सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योगः क्रमिक योगः				
रुपये एक करोड दो लाख सैतालीस हजार चार सौ				
(NAND KISHORE SINGH) ADDL. DFO OF DEV. JHARKHAND				
2,330,400.00				
10,247,400.00				

क्रमांक	विपन्न कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33491	DMKFOR003 SUSHIL SOREN (I.F.S) D.F.O.S.F.DIVDUMKA 03 - मजदुरी	1,221,600.00 रुपये बारह लाख इक्कीस हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060179659010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01 - वेतन एवं भत्ते	33492	SDGAI002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	676,500.00 रुपये छ: लाख छहत्तर हजार पॉच सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33493	DRNFWL013 SRIKANT IFS DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	398,900.00 रुपये तीन लाख अठानवे हजार नौ सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड़ पच्चीस लाख चालासीस हजार चार सौ			2,297,000.00
क्रमिक योग:				12,544,400.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33494	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	90,400.00 रुपये नब्बे हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
17	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33495	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	104,300.00 रुपये एक लाख चार हजार तीन सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
18	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33496	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	55,600.00 रुपये पचपन हजार छ: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये एक करोड सत्ताइस लाख चौरानवे हजार सात सौ			250,300.00
क्रांमिक योग:				12,794,700.00
		(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND		
		RANCH		

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33497	SGHFOR011 CHANDRAMAOULI PRASAD SINHA D.F.O.SARANDA FOREST DIV.JFS 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	98,600.00 रुपये अठानवे हजार छ: सौ
20	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33498	DMKFOR010 AVIROOP SINHA D.F.O.DUMKA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	41,700.00 रुपये इकतालीस हजार सात सौ
21	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33499	PKRFOR001 RAJNISH KUMAR DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	41,700.00 रुपये इकतालीस हजार सात सौ
<p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p> <p>State Scheme : NA Central Scheme : NA</p>				
<p>योगः क्रमिक योगः</p> <p>रुपये एक करोड उन्तीस लाख छहत्तर हजार सात सौ</p> <p>(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCD/DEV.JHARKHAND</p>				
<p>182,000.00</p> <p>12,976,700.00</p>				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33500	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	20,800.00 रुपये बीस हजार आठ सौ
23	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33501	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	291,300.00 रुपये दो लाख इनकानवे हजार तीन सौ
24	S 19 24060179659010323 2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण 01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण 03 - प्रशासनिक व्यय	33502	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	187,700.00 रुपये एक लाख सित्यासी हजार सात सौ
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: <span style="float: right;">499,800.00</span> क्रमिक योग: <span style="float: right;">13,476,500.00</span>				
 (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCF DEV JHARKHAND				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179659010323	33503	SGHFOR001	34,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NITISH KUMAR (I.F.S.)	रुपये चौतीस हजार आठ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
26	S 19 24060179659010323	33504	LTRFOR004	208,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये दो लाख आठ हजार पाँच सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.D LATEHAF	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
27	S 19 24060179659010323	33505	DMKFOR003	225,800.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S.)	रुपये दो लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		

योगः

रुपये एक करोड उनचालीस लाख पैतालीस हजार छ: ८५

469,100.00

क्रमिक योगः

13,945,600.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060179659010323	33506	SDGAI/002	125,100.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
01 - वानिकी			ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये एक लाख पचास हजार एक सौ
796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			DIV. F O SOC.	
59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण			FORESTRY SIMDEGA	
01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण				
03 - प्रशासनिक व्यय			23 - आपूर्ति एवं सामग्री	

State Scheme : NA  
 Central Scheme : NA

रुपये एक लाख पचास हजार एक सौ



योगः

रुपये एक करोड चालीस लाख सत्तर हजार सात सौ

125,100.00

क्रमिक योगः

14,070,700.00

(NAND KISHORE SINGH)  
 ADDL PCCF DEV JHARKHAND